न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादी :—	बनाम	प्रतिवादीगण :—
1. रूपाराम पुत्र पुखाराम जाति मेघवाल निवासी— रेन्दडी, तहसील— सोजत, जिला— पाली।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956</u>

राजस्व वाद संख्या :— 50 / 2022

<u>उपस्थितिः—</u>

1. श्री लक्ष्मण मेघवाल अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत प्रतिवादी स्वयं उपस्थित।

—: <u>निर्णय</u> :— दिनांक — 21/07/22

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम रेन्दडी तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खसरा 382, 383, 384, 70 कुल खसरा 04 कुल रकबा 3.8800 हैक्टर की आई हुई स्थित है, जो सम्पूर्ण कृषि भूमि वादी के पिता पुखाराम पुत्र वजाराम के नाम की खातेदारी कृषि भूमि थी, वादी के स्वर्गीय पिता पुखराज पुत्र वजाराम की मृत्यु दिनांक 02.08.2021 को ग्राम रेन्दड़ी में हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद वादी के नाम की फौतेदगी नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु वादी के हल्का पटवारी आलावास से सम्पर्क किया तब पता चला कि वादी के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में पुखाराम पुत्र वजाराम के स्थान पर पुखराज पुत्र बींजाराम दर्ज कर दिया गया है। जो गलत दर्ज किया गया है, जबकि वादी के पिता का वास्तविक नाम पुखाराम ही है तथा वादी के दादा का नाम वजाराम ही है। इसलिए राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में भी पुखाराम पुत्र वजाराम ही दर्ज होना चाहिए था, इसलिए हल्का पटवारी द्वारा वादी का फौतेदगी नामान्तरण दर्ज करने से इंकार कर दिया गया है। वादी के पिता का सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड सरकारी दस्तावेजात में भारत निर्वाचन आयोग, आधार कार्ड, राशन कार्ड भी पुखाराम पुत्र वजाराम नाम दर्ज है तथा वादी की शिक्षा विभाग द्वारा जारी टीसी में भी पुखाराम पुत्र वजाराम दर्ज है। मृत्यु प्रमाण पत्र भी पुखाराम पुत्र वजाराम के नाम से ग्राम पंचायत रेन्दड़ी से जारी जो वर्तमान में कार्यालय ग्राम पंचायत रेन्दड़ी से दिनांक 02.03.2022 किया गया है। उपरोक्त सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेजात से यह बखूबी साबित है कि वादी के पिता का वास्तविक नाम पुखाराम पुत्र वजाराम ही है, घरेलू बोलचाल की भाषा में पुखजी पुत्र वींजो जी कहते थे इसलिए पुखराज पुत्र बींजाराम दर्ज हो गया, जिसे पुनः शुद्धि किया जाना आवश्यक है तथा पुखाराम पुत्र वजाराम नाम राजस्व रेकर्ड जामाबंदी में दर्ज किया जाना आवश्यक है। वादी को सर्वप्रथम अपने स्वर्गीय पिता पुखाराम की कृषि भूमि में फौतेदगी नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज०)

दिनांक 02.03.2022 को जमाबंदी की नकल लेने पर पता चला कि वादी के पिता का नाम पुखाराज पुत्र बींजाराम है तथा सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की नकले लेने से सर्वप्रथम जानकारी हुई। साथ कार्यालय ग्राम पंचायत रेन्दडी से भी प्रमाण पत्र किया गया है। इसलिए उक्त वाद अन्दर म्याद पेश है।

इस प्रकार अधिवक्ता वादी ने राजस्व वादपत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर सरहद मौजा ग्राम रेन्दडी तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खसरा 382, 383, 384, 70 कुल खसरा 04 कुल रकबा 3.8800 हैक्टर की में वादी के पिता का नाम पुखराज पुत्र बींजाराम के स्थान पर पुखाराम पुत्र वजाराम के नाम की घोषणा किए जाने, इन द अल्ट्रनेटिव नाम का शुद्धिकरण किया जाकर तथा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने की माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के फरमाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। तहसीलदार, सोजत प्रतिवादी की ओर से बार–बार अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब दावा पेश नहीं किया जाने पर दिनांक 21.09.2022 को जवाब दावा बंद किया गया।

अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के संलग्न दस्तावेज ग्राम पंचायत रेन्दडी का प्रमाण पत्र दिनांक 02.03.2022, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र पुखाराम पुत्र वजाराम, प्रार्थी की टीसी, वादी के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, पुखाराम का आधार कार्ड, जमाबंदी सरहद मौजा ग्राम रेन्दडी के खसरा नम्बर 382, 383, 384, 70 संवत् 2073 से 2077, 2069 से 2072, 2061 से 2064, 2065 से 2068 की फोटो प्रतियां, पुखराम का जाति प्रमाण पत्र पेश की। प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि प्रस्तुत दस्तावेजात एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों में अंकित तथ्यों, जमाबंदीयों के होने से पृथक तनकीयात कायमी की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि सरहद मौजा ग्राम रेन्दडी तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खसरा 382, 383, 384, 70 कुल खसरा 04 कुल रकबा 3.8800 हैक्टर की में वादी के पिता का नाम पुखराज पुत्र बींजाराम के स्थान पर पुखाराम पुत्र वजाराम के नाम की घोषणा किए जाने, इन द अल्ट्रनेटिव नाम का शुद्धिकरण किया जाकर तथा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने की माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के फरमाये जाने की ईश्तदुआ की है। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत ने भी वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि हो जाने से कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता वादी मय वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तोवेजीसाक्ष्य यथा ग्राम पंचायत रेन्दडी का प्रमाण पत्र,शिक्षा विभाग की पाठाशालान्तर प्रवेशानुज्ञा पत्र प्रार्थी के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, व जातिप्रमाण पत्र की छाया प्रतियों से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के पिता का नाम पुखाराम व इनकी वल्दियत वजाराम थी

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

जो कि सेवन से पुखराज पुत्र बींजाराम दर्ज हो गई है। लिहाजा अधिवक्ता वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा ग्राम रेन्दडी तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खसरा 382, 383, 384, 70 कुल खसरा 04 कुल रकबा 3.8800 हैक्टर की में वादी के पिता का नाम पुखराज पुत्र बींजाराम के स्थान पर पुखाराम पुत्र वजाराम के नाम की घोषणा की जाकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते हैं।

—: आदेश :—

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर सादिर की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम रेन्दडी तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खसरा 382, 383, 384, 70 कुल खसरा 04 कुल रकबा 3.8800 हैक्टर में वादी के पिता का नाम पुखराज पुत्र बींजाराम के स्थान पर पुखाराम पुत्र वजाराम के नाम की घोषणा की जाती है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किए जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 21.09.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

डिकी बमुकददमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
बइजलाश श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादी :–

1. रूपाराम पुत्र पुखाराम जाति मेघवाल
2. निवासी– रेन्दडी, तहसील– सोजत, जिला– पाली।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956</u>

राजस्व वाद संख्या :– 50 / 2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री लक्ष्मण मेघवाल तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर सादिर की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम रेन्दडी तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खसरा 382, 383, 384, 70 कुल खसरा 04 कुल रकबा 3.8800 हैक्टर में वादी के पिता का नाम पुखराज पुत्र बींजाराम के स्थान पर पुखाराम पुत्र वजाराम के नाम की घोषणा की जाती है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किए जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 21/09/22 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

मददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.